निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 200/-

mRrjk[k.M lpuk vk;kx d dk;ky; Hkou dh lkQ&lQkbl gr fufonk ii=

ठेका अवधि –	दिनांक 01 नवम्बर 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक
निविदा /प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि –	दिनांक 11.10.2018 से 26.10.2018 को प्रातः 09.30 बजे से सांय 06.00 बजे तक
निविदा जमा करने की तिथि/समय –	दिनांक 29.10.2018 को प्रातः 11.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि/समय –	दिनांक 29.10.2018 को मध्यान 12.00 बजे

1. निविदादाता/फर्म का नाम :– ....
2. (क) पत्राचार का पता :–...

   ....

   (ख) स्थाई पता :–...

   ....

   (ग) दूरभाष नं0 :– ....
3. फर्म/व्यक्ति का आयकर पैन नं/गत वर्ष के आयकर रिर्टन की छायाप्रति........................

   ....
4. जमानत राशि का विवरण (एफ0डी0आर0 नं0/दिनांक/बैंक का नाम आदि)...................

   ....
5. निविदादाता/फर्म द्वारा प्रस्तावित दरें (प्रतिमाह हेतु) (सभी टैक्सों सहित)

   अंकों में रू0 ....शब्दों में रू0 ....

?kk"k.kk

मैं घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग के कार्यालय भवन की सफाई हेतु आयोग द्वारा निर्धारित 1 से 32 तक की शर्तें मुझे पूर्णतया स्वीकार हैं तथा इन समस्त शर्तो का अनुपालन करते हुए मैं आयोग में उपरोक्त वर्णित दरों पर उपरोक्त समयावधि हेतु कार्य करने हेतु तैयार हूँ।

दिनांक ....

स्थान ....   (हस्ताक्षर निविदादाता)

नाम..

पूरा पता ....

....

नोट :– निविदादाता को अनिवार्य रूप से अपने पहचान पत्र एवं स्थायी निवास के प्रमाण की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

संलग्नक :–

1. स्थायी निवास प्रमाण पत्र
2. फर्म/व्यक्ति का आयकर पैन कार्ड
3. गत वर्ष के आयकर रिर्टन की छायाप्रति
4. (एफ0डी0आर0

mRrjk[k.M lpuk vk;kx
elljh Mk;otlu] fjx jkM] ngjknu
dk;ky; Hkou dh lQkbZ O;oLFkk grq vk;kx }kjk fu/kkfjr vkoÛ;d Ûkrs

1. आयोग के कार्यालय की सम्पूर्ण आन्तरिक एवं बाह्य सफाई व्यवस्था का ठेका निविदा के माध्यम से दिनांक 01 नवम्बर 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक की अवधि के लिये मान्य होगा।।
2. उत्तराखण्ड सूचना आयोग कार्यालय से क्रय की गयी निविदा/प्रपत्र में ही आवेदन करना होगा।
3. एक निविदादाता एक ही निविदा फार्म जमा कर सकेगा। निविदा दिनांक 29.10.2018 को प्रातः 11.00 बजे तक सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी, जो उसी दिन मध्यान्ह 12.00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। बिना सीलबन्द निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्तो की जानकारी व क्रय दिनांक 11.10.2018 से 26.10.2018 तक प्रातः 09.30 बजे से सांय 06.00 बजे तक कार्यालय समय में रू0 200/– का नकद भुगतान कर आयोग कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
4. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, रिंग रोड देहरादून को बिना कारण बताये किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. निविदादाता निविदा डालने से पूर्व सम्पूर्ण कार्यालय भवन का भली–भंति स्वयं निरीक्षण कर लें।
6. सफल निविदादाता को आयोग कार्यालय से सभी प्रकार की सफाई सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
7. आयोग के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जाएगा, यदि सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं पायी गयी तो आयोग द्वारा निम्नानुसार अर्थिक दण्ड का प्राविधान होगा।
   - (क) प्रथम बार सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक ना पायी जाने पर मासिक बिल में से 10 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
   - (ख) द्वितीय बार सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक ना पायी जाने पर मासिक बिल में से 20 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
   - (ग) तृतीय बार सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक ना पायी जाने पर जमानत धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जाएगा एवं संस्था को ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया जाएगा।
8. आयोग परिसर की साफ–सफाई का कार्य कराए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सफल निविदादाता का होगा। सफल निविदादाता द्वारा सफाई कार्य हेतु रखे जाने वाले कर्मचारी के किसी कारण वश सफाई पर न आने की स्थिति में उनके प्रतिस्थानी के रूप में भेजे जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सफल निविदादाता का होगा। किसी भी कार्यदिवस में सफाई कार्य हेतु कोई कर्मचारी उपस्थित न होने पर, उनकी जमानत

राशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जाएगा एवं ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। नवीन ठेका होने तक आयोग परिसर की साफ–सफाई का कार्य बाजार दर पर कराये जाने की स्थिति में सफल निविदादाता के स्वीकृत दर से अधिक की धनराशि का समायोजन उनके अवशेष बिल से कर ली जाएगी।

9. निविदादाता की कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जाएगी।
10. बिल का भुगतान बिल प्रस्तुत करने की तिथि से बजट उपलब्ध होने पर एक माह के अन्दर किया जाएगा।
11. निविदादाता के पास अपना पैन कार्ड होना आवश्यक होगा। अनुभवी ठेकेदारों को अन्य तथ्यों के समान होने पर वरीयता दी जाएगी।
12. विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं आदि के द्वारा समय–समय पर आरोपित करों का भुगतान ठेकेदार को करना होगा। ठेकेदार को आयोग द्वारा दी जा रही धनराशि समस्त प्रकार के करों को मिलाकर होगी।
13. ñLabaur Lawsò श्रम कानूनों का पालन निविदादाता/फर्म द्वारा स्वयं किया जाएगा एवं इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता/फर्म का होगा।
14. समस्त करों का भुगतान निविदादाता/फर्म द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। निविदा में दी गयी राशि के अलावा आयोग द्वारा अन्य किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
15. यदि आयोग कार्यालय की साफ–सफाई के दौरान किसी भी प्रकार का कोई नुकसान/क्षति होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता/सम्बन्धित फर्म की होगी।
16. निविदा प्रपत्र के साथ जमानत राशि रू0 10000/– की एफ0डी0आर0(एक वर्ष की) जो कि सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पक्ष में बन्धक हो, संलग्न करनी आवश्यक है।
17. सफाई के कार्य का प्रतिदिन एवं साप्ताहिक विवरण निम्न प्रकार है –

प्रतिदिन का कार्य :–

a) प्रत्येक तल पर टॉयलेट ब्लाक की सफाई हर घण्टे एक बार।
b) गलियारों, सीढ़ियों की एक दिन में दो बार सफाई।
c) समस्त कमरे, हॉल व स्वागत कक्ष की सफाई एक दिन में एक बार।
d) भूतल पर स्थित पार्किंग एरिया सहित बाहरी क्षेत्र की सफाई एक दिन में एक बार।
e) कूडे के डिब्बों से प्रत्येक दिन कूडा साफ करना।

साप्ताहिक सफाई :–

a) शीशे दरवाजों की सफाई एक दिन में एक बार।
b) गलियारों, सीढ़ियों की धुलाई।
c) हाल, स्वागत कक्ष की धुलाई।
d) गेट की धुलाई।

e) मकड़ी के जालों की सफाई।
f) कचरे के डिब्बे की सफाई।
g) खुली नालियों की सफाई।

नोट :–

- उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार समय–समय पर सफाई व्यवस्था से सम्बन्धित गतिविधियां शामिल की जायेंगी।
- mDr lsok,a ,d lIrkg esa 5 fnuksa dh gksxh] tksfd izfrfnu 8 ?k.Vs dh gksxh] ijUrq ,d lQkbZ deZpkjh lEiw.kZ dk;Z le; vFkkZr 09-30 cts ls vijkgu 06-00 cts rd vk;ksx esa mifLFkr jgsxkA

18. सफाई का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस में कार्यालय आरम्भ होने से पूर्व पूर्ण करना होगा।
19. मुख्य रुप से अण्डर ग्राउण्ड (बेसमेन्ट पार्किग) पार्किंग, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा कार्यालय परिसर में स्थित सभी कक्षों, शौचालयों, गैलरी किचन आदि की अर्थात सम्पूर्ण प्रकार के सफाई का कार्य करना होगा।
20. सभी कार्य दिवसों में सभी तलों पर सफाई, पोंछा आदि कार्य कार्यालय समय से पूर्व पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
21. कार्यालय के सभी कक्षों में स्थित कुर्सी, मेज तथा अन्य समस्त प्रकार के फर्नीचर की प्रतिदिन सफाई कार्यालय आरम्भ होने के पूर्व पूर्ण की जानी आवश्यक होगी।
22. सफाई व्यवस्था में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री यथा– फिनायल, हारपिक, कपूर, वाशिंग हेतु अन्य सामग्री, पोंछा, वाइपर आदि जो भी सामग्री प्रयुक्त होगी, का ब्राण्ड, प्रतिनग दर, मासिक खपत तथा अनुमानित मासिक व्यय आदि का विवरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
23. आयोग द्वारा सामग्री उपलब्ध कराये जाने की दशा में इस सामग्री मद में (सामग्री क्रय हेतु) कोई भी धनराशि नहीं दी जायेगी।
24. सफाई के दौरान कार्यालय में स्थित समस्त प्रकार की सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी फर्म की होगी। आयोग की सामग्री की टूट–फूट होने या खोने पर फर्म से उसकी लागत के बराबर की धनराशि की वसूली कर ली जायेगी।
25. सफाई कार्य में लगे कार्मिकों से आयोग का सीधे–2 कोई भी सम्बन्ध नहीं होगा। यह सभी सफाई कार्मिक सफाई एजेन्सी के कार्मिक होंगे तथा एजेन्सी द्वारा इनको मानदेय तथा देय सभी प्रकार की अन्य सुविधाओं का भुगतान करना होगा तथा शासन/सरकार तथा राजकीय विभागों को देय करों आदि का भुगतान करना होगा।
26. सफाई कार्य हेतु निविदा की अधिकतम अवधि एक वर्ष होगी जो दिनांक 01 नवम्बर 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक के लिय होगी।

27-,tUlh }kjk lQkbl dk;l gr| U;ure 3 dkfeldk dk vk;kx e rukr djuk gkxk] ftlel l ,d dkfeld lEi.k dk;ky; vof/k rd vk;kx ifjlj e lno rukr jgxkA ,tUlh }kjk lQkbl gr| rukr dkfeldk dh mifLFkfr gr| ,d mifLFkfr iftdk miyC/k djkbl tk,xh] ;g iftdk vk;kx d vuHkkx vf/kdkjh@lgk;d y[kkdkj d fu;=.k e gkxh fdUr| ;g lQkbl ,tUlh dk jftLVj gkxk u fd vk;kx dkA vk;kx }kjk bldk i;kx] lQkbl dkfeldk }kjk fu;fer :i l mifLFkr jgr g|, lQkbl dk;l dju dh ekuhVfjx] gr| fd;k tk,xkA fu/kkfjr l[;k e rukr fd, x, lQkbl dkfeldk d vuifLFkr jgu dh nÛkk e vuifLFkfr d fnolk dh l[;k d vulkj n; /kujkfÛk dh dVkrh ,tUlh dk n; /kujkfÛk e l dj yh tk,xhA

28. एजेन्सी अपना कार्य किसी अन्य एजेन्सी को sublet नहीं करेंगी तथा समस्त कार्य उसे स्वयं ही कराना होगा।

29. समस्त प्रकार के करों तथा राजकीय देयताओं का भुगतान एजेन्सी को स्वयं करना होगा। आयोग द्वारा किया जाने वाला भुगतान समस्त करों तथा देयताओं सहित होगा।

30. एजेन्सी द्वारा दी जाने वाले दरों में पारिश्रमिक तथा करों का विवरण अलग–अलग प्रस्तुत करते हुए दरें दी जाएंगी।

31. गम्भीर शिकायत प्राप्त होने पर अथवा लगातार कार्य असंतोषजनक होने की दशा में एजेन्सी को सौपा गया कार्य का अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाएगा तथा इस हेतु निर्णय लेने का अधिकार सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को होगा।

32. सफल निविदा को उपरोक्त समस्त शर्तें मानना अनिवार्य होगा तथा इस हेतु उसे आयोग से रू0 100/– के नॉन जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।

?kk"k.kk i= dk i:i

मैं घोषणा करता हूँ कि आयोग की उपरोक्त 1 से 31 तक वर्णित शर्तें मूझे पूर्णतया स्वीकार है। आयोग में सफाई कार्य का ठेका मिलने की दशा में मैं उपरोक्त समस्त शर्तो का पूर्ण अनुपालन करने को तैयार हूँ।

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

पूरा पता ....

....

....

मो0 न0 ....